

ADDITIONAL INFORMATION

तवा-III भूमिगत खदान का कुल लीज होल्ड क्षेत्रफल 207.47 हेक्टर है। यह खदान पाथाखेडा क्षेत्र जिला बैतुल के वेस्टर्न कोलफिल्ड्स के अंतर्गत आता है। यह वर्जिन खदान है। कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया है। इसमें कुल 127.466 हेक्टर वन भूमि तथा 80.004 हेक्टर गैर वन भूमि है। कोशिस किया गया है कि उपरीतल के लिए वन भूमि का उपयोग जहां तक संभव हो न्युनतम किया जाये वन भूमि के बदले गैर वन भूमि का उपयोग किया जाये।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत कुल वन भूमि 127.466 हेक्टर का दो भाग (25.866 हे. तथा 101.600 हे.) में Application किया गया है क्योंकि कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन 2 भाग में किया गया है। आवश्यक संरचनाओं हेतु कुल 7.65 हेक्टर उपरीतल भूमि का उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमें केवल 4.74 हेक्टर वन भूमि एवं 2.91 हेक्टर गैर वन भूमि है।

भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	आवेदित वन भूमि (हेक्टर में)	गैर वन भूमि (हे.)	CBA (A&D) Act 1957 के तहत अधिसूचना क्र. एवं दिनांक
1	25.866	56.25	1523 दि.13.05.2014
2	101.600 (खनन अधिकार - 96.86 + समस्त अधिकार 4.74)	23.754	1355 दि.24.6.1998, 2617 दि.21.08.1978
कुल	127.466	80.004	


क्षेत्रीय योजना अधिकारी
पाथाखेडा क्षेत्र
Area Planning Officer
Pathakheda . Area . W.C.I.